बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक.......................

एस0ओ0.. दिनांक.............................

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 (1887 का अधिनियम सं0-12) की धारा-13 की उपधारा-(1) एवं धारा-14 की उपधारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं0-2) की धारा-7 की उप धारा (2), एवं धारा-9 की उप-धाराएँ (1)एवं (2) तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल निदेश देते है कि-

(क) शिवहर जिला, सीतामढ़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया जायेगा एवं एक अलग जिला न्यायालय एवं सत्र खंड गठित होगा जो शिवहर जिला एवं सत्र खंड कहा जायेगा जिसका मुख्यालय शिवहर होगा।

(ख) शिवहर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 2 (दो) न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का 1 (एक) न्यायालय एवं अवर न्यायाधीश के 2 (दो) न्यायालय शिवहर जिला में उद्भूत वादों के निपटारा हेतु शिवहर में गठित किये जाएगें।

(ग) शिवहर जिला के लिए पूर्व में गठित एवं सीतामढ़ी में कार्यरत सभी न्यायालय एतद् द्वारा शिवहर में पुनर्स्थापित किये जाएगें।

(घ) शिवहर जिला के सत्र खंड हेतु सत्र न्यायालय की स्थापना शिवहर में की जाएगी और साधारणतया इसकी बैठक शिवहर में होगी।

(ड.) इन सभी न्यायालयों की अधिकारिता शिवहर जिला की स्थानीय सीमाएँ होगीं।

(च) यह अधिसूचना दिनांक-01 दिसम्बर 2012 से प्रभावी होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-2/2010-खंड/................/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-............................../जे0, पटना, दिनांक-..............................

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) के साथ अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आगामी असाधारण गजट में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ, विधि विभाग को शीघ्र भेज दी जाए।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार। कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक-............................/जे0, पटना, दिनांक-............................

प्रतिलिपिः- 1. महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य सचिव, बिहार, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-............................/जे0, पटना, दिनांक-............................

प्रतिलिपिः- 1. महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-16,678 दिनांक-19.10.12 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-............................/जे0, पटना, दिनांक-............................

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-............................/जे0, पटना, दिनांक-............................

प्रतिलिपिः- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी/जिला दंडाधिकारी, शिवहर/पुलिस अधीक्षक, शिवहर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-............................/जे0, पटना, दिनांक-............................

प्रतिलिपिः- विधि विभाग, बिहार, पटना के प्रशाखा 'जी' (बजट एवं सिविल कोर्ट स्थापना) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-.........8064........./जे0, पटना, दिनांक-.....02/11/12.......

प्रतिलिपिः- विधि विभाग, बिहार, पटना के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक.......................

एस0ओ0.. दिनांक...........................

एस0ओ0.................................. दिनांक............................ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-2/2010-खंड/................./जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

NOTIFICATION

Patna, Dated................

S.O...................................... dated........................In exercise of the powers conferred bysection (1) of Section 13 and Sub Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and Sub Section (2) of Section 7 and Sub-Section (1) and (2) of Section 9 and Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act-2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on this Subject, the Governor of Bihar is pleased to direct that-

(A) The District of Sheohar shall be separated from the Jurisdiction of the District and Sessions Judge of Sitamarhi and shall constitute a separate District Judgeship and Sessions Division to be styled as the Sheohar Judgeship and Session Division with headquarters at Sheohar.

(B) The Court of District and Session Judge of Sheohar, 2(two) Courts of Additional District and Sessions Judge, 1(One) Court of Chief Judicial Magistrate and 2(two) Courts of Subordinate Judge shall be constituted at Sheohar for the disposal of cases arising in the district of Sheohar.

(C) All the Courts previously constituted for Sheohar district and functioning at Sitamarhi shall be relocated at Sheohar.

(D) There shall be established a Court of Sessions for Session Division of Sheohar and it shall ordinarily hold its sitting at Sheohar.

(E) The Jurisdiction of all these Courts shall be the entire local limits of Sheohar district.

(F) This notification shall come into force with effect from 1st December 2012

(File No.-A/Act-2/2010-Part/........../J.)

By Order of the Governor of Bihar

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to Government of Bihar

Memo No.-../J, Patna, Dated.............................

Copy forwarded to the Superintendent Government Press, Gulzarbagh, Patna with C.D. (Soft Copy) with a request to publish it in the forthcoming extra ordinary gazette and send 100 (One hundred) copies to the Law Department.

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to the Government of Bihar.

P.T.O

Memo No.-.../J, Patna, Dated...........................

Copy forward to – 1. Principal Secretary to the H.E. Governor, Bihar for information.

2. Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar for information.

3. Private Secretary to the Chief Secretary, Bihar for information.

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to the Government of Bihar.

Memo No.-.../J, Patna, Dated...........................

Copy forwarded to – 1. Registrar General, High Court of Judicature at Patna for information.

2. Registrar (Adiministration) High Court of Judicature at Patna for information with reference to his letter No.-16,678 Dated 19.10.2012.

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to the Government of Bihar.

Memo No.-.../J, Patna, Dated...........................

Copy forwarded to the Principal Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna/Principal Secretary, Finance Department, Bihar, Patna/Principal Secretary, Home Department, Bihar, Patna/ Principal Secretary, Public Health Engineering Department, Bihar, Patna/ Secretary, Building Construction Department, Bihar, Patna/Inspector General-Prisions, Bihar, Patna/Director General of Police, Bihar, Patna/All Divisional Commissioner, Bihar/All District and Sessions Judge, Bihar/All District Magistrate, Bihar for information.

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to the Government of Bihar.

Memo No.-.../J, Patna, Dated...........................

Copy forwarded to District and Session Judge, Sitamarhi/District Magistrate, Sheohar/Superintendent of Police, Sheohar for information and necessary action.

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to the Government of Bihar.

Memo No.-.../J, Patna, Dated...........................

Copy forwarded to ~~the~~ Departmental Section 'G' (Budget and Civil Courts establishment) for information and necessary action.

sd/-Vinod Kumar Sinha

Secretary to the Government of Bihar.

Memo No.-.............8064............./J, Patna, Dated.......02/11/12.....

Copy forwarded to all the Section officers of Law Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Vinod Kumar Sinha)

Secretary to the Government of Bihar.

02/11/12